UPMT010051602026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2221/2026
कुलदीप प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 46/2026, धारा 80(2),85,115(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सुरीर, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **कुलदीप** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्रियों से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनके साथ मारपीट करके प्रताड़ित करना एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री सोनिया के साथ मारपीट करके उसका गला दबाकर हत्या कारित कर देना, आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान निजी अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा कालू पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको गलत एवं झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई और जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका की हत्या बुरी तरह से पीट पीटकर व गला दबाकर करना बताया गया है जबकि मृतका के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। आवेदक/अभियुक्त खोड़ा कॉलोनी, गाजीपुर मण्डी, गाजियाबाद में ठेकेदार के अधीन शैटरिंग का कार्य करताा है, ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता है तथा घटना वाले दिन भी आवेदक/अभियुक्त अपने कार्य पर गाजियाबाद में था। यदि आवेदक/अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट व प्रताड़ित किया गया होता तो मृतका की बहन द्वारा आवेदक/अभियुक्त की शिकायत कहीं न कहीं जरूर की जाती। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर उंगलियों के व शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट व निशान आदि मौजूद नहीं थे, जिससे भी घटना झूंठी व फर्जी जाहिर होती है। सहअभियुक्त संदीप व बेबी की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, वह दिनांक 02.04.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसको दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्रियों से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनके साथ मारपीट की गयी, उनको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री सोनिया के साथ मारपीट करके उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। वादी की पुत्री सोनिया की मृत्यु उसकी शादी के एक वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में उसकी ससुराल में हुई है। आवेदक/अभियुक्त मृतका सोनिया का पति है और मुख्य अभियुक्त है। अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका रही है, इसलिए वह सहअभियुक्तगण को प्रदान की गयी जमानत का समानता

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.30 13:57:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्रियों से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनके साथ मारपीट करके प्रताड़ित करना एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री सोनिया के साथ मारपीट करके उसका गला दबाकर हत्या कारित कर देना, आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है तथा मुख्य अभियुक्त है।

केस डायरी में उपलब्ध मृतका सोनिया की शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण Death due to Asphyxia as a result of AMI Hanging बताया गया है। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोट के रूप में– Total neck circumference 30 cm., completer ligature mark of size 26x02cm. present above thyroid cartilage, 6 cm. below from LT. ear, 6 cm. below from chin, 8 cm. below from Rt. ear on cut section of ligature mark subcutaneious tissue congested.

मृतका सोनिया की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर, सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में उसकी ससुराल वाले घर में हुई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में सोनियसा को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित/उत्प्रेरित किए जाने का तथ्य भी स्पष्टतः अंकित है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोपपत्र आ चुका है।

स्वीकृत रूप से आवेदक/अभियुक्त **कुलदीप** प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है और उसकी ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है।

जहाँ तक कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका का प्रश्न है, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–30.06.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.ए .